न्यायाधीश रवि मलिमिथ

चर्चा में क्यों?

17 सितंबर, 2021 को सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने हिमाचल प्रदेश के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति **रवि मलिमिथ** का स्थानांतरण कर **मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश** बनाने की सिफारिश की है।

प्रमुख बिंदु

- सुप्रीम कोर्ट के कॉलेज़ियम ने देश के 8 राज्यों के मुख्य न्यायाधीशों एवं अन्य कई न्यायाधीशों के स्थानांतरण की सिफारिश की है।
- मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश **मोहम्मद रफीक** को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है।
- इससे पूर्व न्यायमूर्ति रवि मलिमिथ 28 जुलाई, 2020 से 6 जनवरी, 2021 तक उत्तराखंड के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 जनवरी, 2021 से 30 जून, 2021 तक हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं। उसके उपरांत वहाँ के कार्यवाह मुख्य न्यायाधीश के पद पर थे।
- 25 मई, 1962 को जन्में न्यायमूर्ति रवि मलिमिथ ने 28 जनवरी, 1987 से अधिवक्ता के रूप में कर्नाटक हाईकोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट में सिविल, आपराधिक, संवैधानिक, श्रम, कंपनी, सेवा मामलों आदि में 20 वर्षों तक प्रैक्टिस की। इन्हें संविधान विशेषज्ञ माना जाता है।
- ये 18 फरवरी, 2008 को कर्नाटक हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश एवं 17 फरवरी, 2010 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए थे।
- ये 24 मई, 2024 को सेवानिवृत्त होंगे।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/judge-ravi-malimath